न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा

राजस्व वाद0 पत्र सं0 39/2013

1. श्री देवी वल्द स्व0 श्री मांगू जाति माली उम्र 50 वर्ष निवासी – बाडी, तहसील – बिजयनगर जिला अजमेर।
2. श्रीमती सीता पुत्री स्व0 मांगू पत्नी श्री गोपाल उम्र 45 वर्ष जाति माली निवासीया बरल द्वितीय तहसील बिजयनगर।
3. श्रीमती बदाम पुत्री स्व0 श्री मांगू पत्नी श्री बालू उम्र 42 वर्ष जाति माली निवासीया जीवार तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा।

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री कल्याणमल वल्द लादूराम उम्र बालिग जाति जाट निवासी बाडी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
2. श्री जगदीश वल्द बीरमा उम्र बालिग
3. श्री पारसी पुत्री बीरमा उम्र बालिग
4. श्रीमती जैती पत्नी श्री बीरमा उम्र बालिग
   प्रतिवादी सं0 02 लगायत 04 समस्त जाति माली निवासीयान – ग्राम बाडी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार मसूदा।

——अप्रार्थीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक 22.06.2016

:– निर्णय :–

वादीगण ने इस वाद पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि ग्राम बाडी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित अराजी खसरा सं0 1608 रकबा 00–08–10 व 1611 रकबा 13 बिस्वा व 1612 रकबा 00–10–10 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 01–12–00 में जो कि स्व0 गलकू एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमियां है, इनमें वादीगण की माता स्व0 गलकू पत्नी मांगू का 1/2 हिस्सा है। श्रीमती गलकू का निधन दिनांक 30.06.2007 को हो गया है और वादीगण उसकी अराजी में बहैसियत वारिसान काबिज काश्त चले आते हैं। विवादित भूमि के संयुक्त खातेदारी में होने से मेड, पाली को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद होता रहता है। वादी सं0 1 ने प्रतिवादी सं0 1 से 4 को आम सहमति से बटवांरा करवा लेने के लिए निवेदन करने पर उन्होनें मना कर दिया है इसलिए वाद लाने की आवश्यकता हुई है अतः वाद स्वीकार कर विवादित अराजी में वादीगण के 1/2 हिस्से का पृथक से खाता कायम किया जावे तथा प्रतिवादीगण सं0 1 का 1/4 व 1/8 व 2 से 4 का 1/8 हिस्से से बटवांरा करवाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

आज पत्रावली न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प बाडी पर पेश हुई। उभयपक्षान के अभिभाषक तथा पैरोकार प्रतिवादी सं0 5 उपस्थित आये। उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिवादी सं0 1 के प्रतिवाद पत्र में उसने निवेदन किया कि वाद पत्र के कथन सर्वथा झूठे हैं। वादीगण झगडालु किस्म के व्यक्ति हैं और वे प्रतिवादी सं0 1 को उसकी अराजी से बेदखल करना चाहते हैं। प्रतिवादी स्वयं वादग्रस्त अराजी के एक ओर स्थित रास्ते से लगते मार्ग को सुरक्षित रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बॉण्ड बटवांरा चाहता है। प्रकरण प्राप्ति पर 3 तनकियात कायम की हुई है। अभिलेख पर उपलब्ध ग्राम बाडी की जमाबंदी संवत् 2065–68 के खाता सं0 32 में खसरा न0 1608,

1611 व 1612 में पक्षकारान सहखातेदार है तथा वादीगण की माता गलकू का इनमें 1/2 हिस्सा अंकित है।

प्रकरण में अभिलेख की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विवेचन करने पर वस्तु स्थिति यह पाई गई है कि वादीगण विवादित अराजी में खातेदार नहीं है। स्व0 गलकू बेवा मांगू 1/2 हिस्से से खातेदार थी। वादीगण के अनुसार ही वह फोत हो चुकी है ऐसी स्थिति में मृतक की खातेदारी की भूमि के बटवारे का वाद लाने के अधिकारी नहीं है। प्रकरण में कायम तनकीयत को निम्न प्रकार तय किया जाता है :–

तनकीयत 1. –आया वादीगण मौजा बाडी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा सं0 1608 रकबा 00–08–10 व 1611 रकबा 00–13–00 तथा 1612 रकबा 00–10–10 भूमि उपरोक्त रकबा स्थिति में से 1/2 हिस्से का बटवांरा कराकर राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज करने के अधिकारी है ?

इसका भार वादीगण पर रहा है। वादीगण यह वाद अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्त. अधि. लाये हैं। विवादित भूमियों में वाद पत्र के अनुसार मृतक श्रीमती गलकू पत्नी मांगू 1/2 हिस्से सहखातेदार थी। ग्राम बाडी की जमाबंदी स0 2065–68 के खाता सं0 32 की अराजी में स्व0 गलकू ही खातेदार दर्ज है। वादीगण अपने आपको उसका वारिस बताकर यह वाद लाये हैं जबकि अभिलेख में उनकी विरासत आदि का कोई उल्लेख नहीं हैं। बिना अभिलेख में आये वादीगण को ऐसा वाद लाने के अधिकार नहीं है। वादीगण तनकी अपने पक्ष में सिद्ध नहीं कर पाये हैं अतः तनकी विरूद्ध वादीगण तय की जाती है।

तनकीयत 2. –आया प्रतिवादी सं0 1 अपने प्रतिवाद पत्र में दर्शित कारणों के आधार पर वादग्रस्त भूमियों का बटवांरा हेतु अनुतोष प्राप्ति का अधिकारी है ?

इस तनकी का भार प्रतिवादी सं0 1 पर रहा है लेकिन उसने प्रतिवाद पत्र में किसी प्रकार से काउन्टर क्लेम नहीं किया है केवल अपनी अपेक्षा से अवगत कराया है जिसके कारण वह प्रतिवाद पत्र पर किसी अनुतोष प्राप्ति का अधिकारी नहीं पाया जाता। तनकी विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 तय की जाती है।

तनकीयत 3. – अनुतोष ?

वादीगण प्रस्तुत वाद पर किसी अनुतोष प्राप्ति के अधिकारी नहीं पाये जाते हैं।

अतः ग्राम बाडी स्थित अराजी खसरा सं0 1608, 1611 व 1612 के विभाजन हेतु वादीगण द्वारा लाया गया वाद स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता। वाद वादीगण सव्यय निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2016 को "न्याय आपके द्वार" कार्यक्रम मुकाम बाडी पर मजमें आम में सुनाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.01.29 12:51:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: